कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
28.12.18 आवेदकगण द्वारा प्रा० प० प्रस्तुत वाद प्रा० प० जवाब के कोई कार्यवाही नहीं चाहते तथा विड्रा करने का चाहते या तामील चाहते या पत्रावली मेरे हवी प्रस्तुत प्रा० प० के प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं वाद विड्रा के भी आवेदन प्रस्तुत किया है अतः प्रा० प० अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर के बाद तथा वाद तकमील कार्यवाही जाबता दाखिल दफ्तर हो) अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दि 25-10-18 खारिज की जाती है निर्णय आज दि 28.12.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	अ०शा०कटु जी मुख्य न्यायाधीश न्यायालय Shyam